



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 27 दिसम्बर, 2021

पौष 6, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 2324/पाँच-5-2021

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-98

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2021

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवाँ संशोधन) संक्षिप्त नाम विनियमावली, 2021 कही जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये विनियम 17 का गये विद्यमान विनियम 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, संशोधन अर्थात्:-

स्तम्भ-1**विद्यमान विनियम**

17—यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 31 दिसम्बर, 2021 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिये विधिमान्य रहेगी।

स्तम्भ-2**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम**

17—यह विनियमावली तत्काल प्रवृत्त होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 31 मार्च, 2022 तक या जब तक अग्रतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, के लिये विधिमान्य रहेगी।

आज्ञा से,

अमित मोहन प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2324/Five-5-2021, dated December 27, 2021 :

No. 2324/Five-5-2021

Dated Lucknow, December 27, 2021

IN exercise of the powers conferred under section 2 of the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act no. 3 of 1897), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations, 2020.

**THE UTTAR PRADESH EPIDEMIC DISEASE COVID-19
(ELEVENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

Short title

1. (1) These regulation may be called the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 (Eleventh Amendment) Regulations, 2021.

Amendment of
rule 17

2. In the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 regulations, 2020, *for* existing regulation 17 set out in Column-1 below, the regulation as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN - 1*Existing regulation*

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31st December, 2021 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

COLUMN - 2*Regulation as hereby substituted*

17. These regulations shall come into force immediately and shall remain valid up to 31st March, 2022 or until further orders, whichever is earlier, from the date of publication of this notification.

By order

AMIT MOHAN PRASAD,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 518 राजपत्र-2022-(1158)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 11 सा० चिकित्सा-2022-(1159)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5

संख्या 2324(1)/पाँच-5-2021
लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

अधिसूचना संख्या 2324/पाँच-5-2021, दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (ग्यारहवाँ संशोधन) विनियमावली, 2021 (प्रति संलग्न) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 3-निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 4-निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 8-निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9-समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10-महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
- 11-निदेशक, संचारी रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12-समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
- 13-मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक/निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
- 14-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15-गार्ड बुक।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,
अजीज अहमद,
संयुक्त सचिव।